PTCUL

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांकः 281 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–8 दिनांकः 16.02.2022

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा पिटकुल निदेशक मण्डल की दिनांक 13.12.2021 को आहूत 77वीं बैठक में सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 385/XXX(2)/2021-3(6)2012 दिनांक 09 नवम्बर, 2021 के द्वारा ''उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010'' में अग्रेत्तर संशोधन कर बनायी गयी ''उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमवाली, 2021'' को अंगीकार करते हुए पिटकुल में पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवावधि में 50% (पचास प्रतिशत) शिथिलता किये जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती हैः–

कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप संख्या 1457/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0–8/G-1 दिनांक 29.09.2011 द्वारा अंगीकृत ''उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010'' में ''उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2021'' में निहित प्राविधानुसार एक परन्तुक जोड़ दिया जाता है अर्थात् :–

''परन्तुक यह और भी कि मूल नियमावली में विहित शिथिलीकरण का लाभ वर्तमान चयन वर्ष (1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 तक) के लिए अनुमन्य होगा तथा शिथिलीकरण की अनुमति प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि ऐसे शिथिलीकरण से संवर्ग में पारस्परिक ज्येष्ठता एवं वेतन सम्बन्धी विसंगति उत्पन्न न हो।''

कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप संख्या 1457/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0–8/G-1 दिनांक 29.09.2011 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांकः 281 /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी-8 तद्दिनांक :

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (परिचालन)/(मा0सं0)/(वित्त)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II)/समस्त महाप्रबन्धक, पिटकुल...............................।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/समस्त उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल...।
4. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया विषयगत् आदेश को कारपोरेशन की वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल,...।
6. कट फाइल।

(अनिल कुमार)
प्रबन्ध निदेशक